FROM : DGMPHG FAX NO. : 2678850 12 Jun. 2017 3:38PM P1

(4) आवश्यक

होमगार्ड, सिविल डिफेंस एवं राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल, मध्यप्रदेश

होमगार्ड केम्पस, जहांगीराबाद, भोपाल–462008

क्रमांक/2–13/210/स्था(1)ए/होमगार्ड/2016 भोपाल, दिनांक 3/09/2016

प्रति

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
भोपाल

विषय :– माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 06.09.2016 को आयोजित बैठक हेतु जानकारी बाबत्।

संदर्भ :– म0प्र0शासन, गृह विभाग का क्रमांक 2153/1423/2016/दो–ए(3), दि. 30.9.2016 एवं क्रमांक 2183/1423/2016/दो–ए(3), दिनांक 02.09.2016

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 06.09.2016 को आयोजित बैठक हेतु होमगार्ड एवं राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल विभाग की 31 अगस्त, 2016 तक की लक्ष्य प्राप्ति एवं वर्ष के शेष 07 माहों की कार्ययोजना की जानकारी अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

3.9.2016

(मैथिलीशरण गुप्त)
महानिदेशक,
होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा,
एसडीईआरएफ, मध्यप्रदेश

Scanned by CamScanner

माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 06.09.2016 को आयोजित बैठक हेतु 31 अगस्त, 2016 तक की लक्ष्य प्राप्ति एवं वर्ष के शेष 07 माहों की कार्ययोजना की जानकारी

दिनांक 31 अगस्त 2016 तक प्राप्त लक्ष्य :–

- प्रदेश में आने वाली सभी प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए विभाग द्वारा एक विशेष वेब पोर्टल www.homeguard.mp.gov.in प्रायोगिक तौर पर फंक्शनल बनाया गया है, जिसका 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। सभी ई.ओ.सी. में टेलीफोन एवं इंटरनेट स्थापित है। भारत सरकार द्वारा आम पब्लिक के लिये प्रदत्त टोलफ्री नं. 1079 लेवल वन तथा 30 पीआरआई लाईन सहित स्टेट कमाण्ड सेंटर भोपाल में स्थापित किया गया, ताकि आपदा पीड़ित कोई भी व्यक्ति तत्काल निःशुल्क फोन लगाकर सहायता प्राप्त कर सकें। स्टेट कमाण्ड सेंटर आपदा संबंधी सूचना लेण्ड लाईन, वेब पोर्टल, मोबाईल एप, फेसबुक, ट्वीटर आदि से भी प्राप्त कर आपदा के समय प्रभावी राहत एवं बचाव कार्यवाही कर रहा है।
- इस राज्य आपदा कमाण्ड एवं रिस्पांस मॉनिटिरिंग सिस्टम में शासन के सभी विभागों, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायती राय इकाईयों, स्वयंसेवी संगठनों, परोपकारी संगठनों एवं निजी संस्थानों व इकाईयों के सभी संसाधनों, वाहनों आदि की जानकारी की जियो–टैगिंग की कार्यवाही 20 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है।
- विभाग द्वारा सभी 51 जिलों में ई.ओ.सी. एवं 315 डीआरसी स्थापित किये जा चुके है। एसडीईआरफ की 12 टीम एवं एनडीआरएफ 02 टीमें बाढ़ बचाव कार्य कर रही है। इस मानसून में बाढ़ के दौरान अब तक 3770 व्यक्तियों के जीवन की रक्षा की है तथा बाढ़ आपदा में फॅसे लगभग 41,181 व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।
- मध्यप्रदेश में सिंहस्थ 2016 (महाकुंभ) का आयोजन के सफल आयोजन हेतु आपदा प्रबंधन की रूपरेखा तैयार कर एसडीईआरएफ, होमगार्ड,सिविल डिफेंस विभाग द्वारा दिन–रात, अथक परिश्रम से ड्यिूटी कर सिंहस्थ 2016 में आने वाले करोड़ों की संख्या में आमजन, श्रद्धालुओं, साधु–संतों एवं गणमान्य विशिष्टजनों की जान–माल की रक्षा की गई। कुंभ के दौरान नदी एवं घाटों में आवश्यकता के अनुसार 08 जोन पर तीन लेयर (सीढ़ी लेयर, रैलिंग लेयर व नॉव की लेयर) में जल आपदा से निपटने की सशक्त व्यवस्था की गई थी व उनकी चौकसी, चेतन्यता एवं एकाग्रता बनाए रखने के लिए हर दो घण्टें में इनकी जल मार्ग से बदली की गई थी। करीब 500 सर्प जीवित अवस्था में पकड़कर, वन विभाग को सौंपा गया।
- प्रदेश में ईओसी के क्रियान्वयन के लिये के वी–सेट आधारित संचार नेटवर्क (512 केवीपीएस) होमगार्ड कार्यालय, भोपाल, होशंगाबाद एवं जबलपुर में स्थापित किये जा चुके है।
- आपदा के समय प्रभावी ढंग से निपटने के लिये एन.आर.एस.सी. (इसरो) से होमगार्ड विभाग द्वारा 5 वर्षीय एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है। जिसके तहत् आपदाओं का पूर्व अनुमान लगाकर समय रहते प्रभावी कार्यवाही कर प्रभावित होने वाले लोगों को विशेष रूप से चिन्हित मानव शेल्टर एवं पशु शेल्टर में शिफ्ट किया जाकर उनकी जान एवं माल की रक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अंतर्गत इसरो के समस्त संसाधन एवं सहयोग विभाग को निःशुल्क उपलब्ध हो सकेंगे।

- इसके साथ ही होमगार्ड विभाग द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय,भोपाल उनके तकनीकी उन्नयन एवं कार्य क्षमता विकास के क्षेत्र में आवश्यक सहयोग हेतु अनुबंध किया गया है।

- जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला सेनानी,होमगार्ड एवं जिला प्रमुखों की आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल शासकीय विभागों एवं जिला होमगार्ड कमाण्डेंट, स्थानीय प्रशासन, औद्योगिक इकाईयों अशासकीय संगठन एवं समाज सेवी संगठन तथा मानवीय उपकरणीय एवं अन्य संसाधनों को वेब स्पेशियल साफ्टवेयर से जोड़ने एवं उनके प्रशिक्षण के लिए माह फरवरी 2016 में दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। 09 जुलाई 2016 प्रदेश में बाढ़ आपदा की स्थिति उत्पन्न

Scanned by CamScanner

(10)

होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही की गई। माननीय मुख्य सचिव,म.प्र.शासन द्वारा फिजिकल बुलाये जाने की जगह प्रतिमाह वीडियो कांफ्रेंसिंग किये जाने के निर्देश का पालन किया जा रहा है।

- एक लाख दस हजार सिविल डिफेंस वॉलिन्टियरों के प्रशिक्षण का दो चरणों में प्रशिक्षण का किया जाना है,जिसके लिये मुख्यसचिव महोदय की बैठक दिनांक 06.06.2016 को अनुमति प्राप्त हुई है। डीपीआर अनुमोदन हेतु प्रेषित की जा चुकी है।
- **औद्योगिक इकाईयों, स्वयंसेवी संगठनों, परोपकारी संगठन, नगर निगम, नगर पालिका एवं पंचायती राज (स्थानीय निकायों) एवं निजी संस्थानों का SDCRMS से जोड़ने की लगभग 20 प्रतिशत कार्यवाही पूर्ण किया जा चुका है।**
- केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान,होमगार्ड,मंगेली,जिला जबलपुर में होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से उन्नयन एवं विकास किये जाने की डीपीआर राशि रू. 50,00,50,000/- सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है।
- इंदौर में क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान आपदा प्रबंधन में क्षमता विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिये राशि रू. 44 करोड़ की डीपीआर शासन को प्रेषित की जा चुकी है।
- कलकत्ता में होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ के अधिकारियों का फ्लड रेस्क्यू, प्रशिक्षण व दिल्ली में एनआईडीएम से आपदा बचाव संबंधी प्रशिक्षण कराया जा चुका है।
- माननीय **मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में** आयोजित **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण** की बैठक **दिनांक 03/04/2012** में एसडीईआरएफ के गठन अनुमोदन अनुसार प्रदेश के शेष जिलों में आपदा जोखिम को देखते हुये राज्य आपदा एवं आपातकालीन मोचन बल की स्थापना हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है।
- मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा निजी चिकित्सालयों में ईलाज हेतु केशलेस सुविधा की "**मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना**" लागू की गई है, जिसमें योजना के सदस्य/आश्रित (परिवार के सदस्य) योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिये पात्र होंगे। अतः इस केशलेस सुविधा युक्त "**मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना**" को होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ के अधिकारी, कर्मचारी व जवानों के लिये विस्तारित करने की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त की गई है।

Scanned by CamScanner

(70)

वर्ष के शेष 07 माहों की कार्ययोजना (आगामी लक्ष्य)

- प्रदेश में आने वाली सभी प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव निर्मिम आपदाओं से निपटने के लिए विभाग द्वारा एक विशेष वेब पोर्टल www.homeguard.mp.gov.in प्रायोगिक तौर पर फंक्शनल बनाया गया है, औपचारिक लॉचिंग एवं विशेष चरण पर कार्यवाही पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। भारत सरकार के डीओटी प्लान के तहत् 1079 पर लिंक किया जाकर निःशुल्क एसएमएस सुविधा का समायोजन करने का लक्ष्य रखा गया है।

- इस राज्य आपदा कमाण्ड एवं रिस्पांस मॉनिटिरिंग सिस्टम में शासन के सभी विभागों, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायती राय इकाईयॉ, स्वयंसेवी संगठनों, परोपकारी संगठनों एवं निजी संस्थानों व इकाईयों के सभी संसाधनों, वाहनों आदि की जानकारी की जियो–टेगिंग की शेष कार्यवाही आगामी 07 माहों में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

- प्रदेश में ईओसी के कियान्वयन के लिये भोपाल, होशंगाबाद एवं जबलपुर में स्थापित वी–सेट आधारित संचार नेटवर्क (512 केवीपीएस) की क्षमता वृद्धि एन.डी.एम.ए. से कराये का लक्ष्य है।

- आपदा बचाव संबंधी वेब पोर्टल के संबंध में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला सेनानी,होमगार्ड एवं जिला प्रमुखों की माननीय मुख्य सचिव,म.प्र.शासन द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में माह सितम्बर, 2016 से प्रतिमाह वीडियो कांफ्रेंसिंग कराये जाने का लक्ष्य है।

- एक लाख दस हजार सिविल डिफेंस वॉलिन्टियरों के प्रशिक्षण का दो चरणों में प्रशिक्षण हेतु प्रेषित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की शासन स्वीकृति प्राप्त किया जाकर प्रशिक्षण दिये जाने का लक्ष्य है।
- **औद्योगिक इकाईयों, स्वयंसेवी संगठनों, परोपकारी संगठन, नगर निगम, नगर पालिका एवं पंचायती राज (स्थानीय निकायों) एवं निजी संस्थानों का SDCRMS से जोड़ने की शेष 80 प्रतिशत कार्यवाही आगामी 07 माहों में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।**

- केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान,होमगार्ड,मंगेली,जिला जबलपुर में होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से उन्नयन एवं विकास किये जाने की अनुमोदित डीपीआर अनुसार बजट प्राप्ति और कार्य प्रारंभ किये जाने का लक्ष्य है।

- इंदौर में क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान आपदा प्रबंधन में क्षमता विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रेषित रू. 44 करोड़ की डीपीआर की शासन स्वीकृति प्राप्त कर, शीघ्र निर्माण किये जाने का लक्ष्य है।
- भोपाल एवं ग्वालियर में में एसडीईआरएफ के क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान हेतु डीपीआर तैयार कर शीघ्र शासन को प्रेषित कर, अनुमोदन एवं बजट प्राप्ति एवं निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने का लक्ष्य है।
- कलकत्ता में होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ के अधिकारियों का फ्लड रेस्क्यू प्रशिक्षण व दिल्ली में एनआईडीएम से आपदा बचाव संबंधी प्रशिक्षण कराया गया है। मानसून समाप्ति पश्चात् पुनः होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ के अधिकारी/जवानों का एडवांस प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाने का लक्ष्य है।

- माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 03/04/2012 में एसडीईआरएफ के गठन अनुमोदन अनुसार प्रदेश के शेष जिलों में

Scanned by CamScanner

- प्रदेश में राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल (एसडीईआरएफ) एवं होमगार्ड के सभी इकाईयों के लिये आवासीय सुविधा/ट्रांजिस्ट हॉस्टल उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

- सभी जिला इकाईयों में आपदा प्रबंधन में क्षमता वृद्धि के लिये **जिला स्तरीय प्रशिक्षण स्ट्रक्चर** का **निर्माण** हेतु Props, Brick Wall, Shoring, RCC Slab, Lean Slab, Hanging Structure for Cutting, Rescue Tower, Swimming Pool इत्यादि का निमार्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

- भारत शासन एवं 14वें वित्त आयोग की गाइड लाईन के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल की क्षमता विकास (प्रशिक्षण, अधोसंरचना विकास, बचाव उपकरण, संचार व्यवस्था, रेस्क्यू वाहन इत्यादि के सृदृणीकरण) के लिये राज्य आपदा फण्ड का 10 प्रतिशत निधि के लिये उपयोग किये जाने की सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त कर राज्य में आपदाओं से निपटने की क्षमता सुदृढ़ीकरण करने का लक्ष्य है।

- प्रदेश के सभी होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ की जिला इकाईयों के अधोसंरचना विकास ए सुदृढ़ीकरण के लिये 3 वर्ष, 7 वर्ष एवं 15 वर्ष का प्रास्पेक्टिव प्लान तैयार किया जाकर, शासन र अनुमोदन प्राप्त किये जाने का लक्ष्य है।

- मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा निजी चिकित्सालयों में ईलाज हेतु केशलेस सुविधा की **"मध्यप्रदेश पुलि स्वास्थ्य सुरक्षा योजना"** लागू की गई है, जिसमें योजना के सदस्य/आश्रित (परिवार के सदस्य योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिये पात्र होंगे। अतः इस केशलेस सुविधा युक्त **"मध्यप्रदे पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना"** को होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ के अधिकारी, कर्मचारी व जवान के लिये विस्तारित करने का लक्ष्य है।

- होमगार्ड कल्याण बोर्ड की स्थापना कराये जाने का लक्ष्य है।

Scanned by CamScanner